

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची
दिनांक :- २५.८.११

अधि० सं०-१/स्था०-०६/२००७ ज.सं.-—————/ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के रिक्त पदों का प्रभार ग्रहण करने हेतु निम्नांकित स्तम्भ-०२ में अंकित पदाधिकारी को अगले आदेश तक अपने मूल कार्य के अतिरिक्त स्तम्भ-०३ में अंकित पद/कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

क्र.	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान पदस्थापन का स्थान	रिक्त पद /कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	श्री मिथिलेश कुमार सचिव (प्रावैधिक) (चालू प्रभार) मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची	अधीक्षण अभियंता जलपथ अंचल, गुमला	
२	श्री विवेकानन्द मिश्र अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार) लघु सिंचाई अंचल, राँची	अधीक्षण अभियंता जलपथ अंचल, राँची	
३	श्री कुमार ज्ञानेन्द्र सिंह अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार) कदवन बौध अंचल, गढ़वा (शिविर-मेदिनीनगर)	अधीक्षण अभियंता रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर	
		सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता, जल संसाधन मेदिनीनगर	
४	श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय कार्यपालक अभियंता (याँ.) (चालू प्रभार) याँत्रिक प्रमंडल, राँची	कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) याँत्रिक प्रमंडल, चांडिल	

- यह आदेश पूर्णतः अस्थायी है। उक्त पद पर नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- उक्त कार्य के लिए संबंधित पदाधिकारी को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(दिनेश उपाध्याय)
(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र०)
२५/८/११

ज्ञापांक—

4120

राँची, दिनांक—24.8.11

प्रतिलिपि—सी.डी. की प्रति सहित अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झोरखंडा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पचीस) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र०)

ज्ञापांक—

4120

राँची, दिनांक—24.8.11

प्रतिलिपि—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख— I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / संबंधित मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/ब, 7/यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब संबंधित अंचल / प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र०)